



2026:AHC:19357

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1282/2026

जगजीत सिंह उर्फ कपिल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : करुणेश नारायण त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रामेंद्र पाल सिंह को सुना और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत याचिका आवेदक जगजीत सिंह उर्फ कपिल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-342/2025, धारा 8/18/20/29/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना जैत, जिला मथुरा में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि वह निषिद्ध वस्तुओं की अवैध आपूर्ति में सम्मिलित है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अंकित नहीं है और सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन में अन्वेषण के दौरान उसका नाम प्रकाश में आया था। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक के आधिपत्य से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई निषिद्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः अपराध में उसके मिथ्या फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धाराओं 40, 50 और 52क के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई आख्या उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने तथा उसे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त गुरमेल सिंह और सुल्तान सिंह को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 30539 वर्ष 2025 और 38907 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 और 14.10.2025 के माध्यम से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। उन्होंने प्रस्तुत किया जमानत संख्या 1282 वर्ष 2026, कि आवेदक के नाम तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक 07.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है और जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में संलिप्त है, इसलिए आवेदक किसी कृपा का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त होगा।

बिना किसी गुण-दोष पर राय व्यक्त किए, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

आवेदक **जगजीत सिंह उर्फ कपिल** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए गंभीरता से विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

दिनांक: 28 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।